ए.

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से सखाराम सिंह का निर्णय।

किशनराव

(2022 का सी. ए. संख्या 5067-5068) अगस्त 3,2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXII, rr.2 और 11-उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील समाप्त हो गई-चुनौती-आयोजितःतथ्यों पर, उच्च न्यायालय यह सोचने में त्रुटि में पड़ गया कि दूसरी अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 (दूसरी वादी) की मृत्यु पर समाप्त हो गई-जब दो वादी एक साथ जुड़ जाते हैं और एक अचल संपत्ति की घोषणा और कब्जे की डिक्री प्राप्त करते हैं, तो डिक्री धारकों में से एक की मृत्यु दूसरी अपील को कम नहीं करेगी-जहां तक जीवित सफल वादी का संबंध है, कार्रवाई का कारण बच जाता है-उपशमन केवल तभी होता है जब कार्रवाई का कारण जीवित पक्ष पर या उसके खिलाफ नहीं रहता है।

सी.

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 5067-5068।

ई.

औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के 1993 की दूसरी अपील संख्या 67 के निर्णय और आदेश से और 2019 के सिविल आवेदन संख्या 1 और 1993 की दूसरी अपील संख्या 67 में आदेश संख्या 2 से।

शशिभूषण पी. अदगांवकर, ओमकार जे. देशपांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एफ.

सुश्री रोहिणी वाघ, इलिन सारस्वत, आलेख वाघ, देवेंद्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

जी.

ओ आर डी ई आर

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें बॉम्बे, औरंगाबाद पीठ में उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री से उत्पन्न होती हैं, जिसमें दूसरे आदेश को खारिज कर दिया जाता है।

एच.

901 ए.

902

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

प्रत्यर्थीगण में से एक की मृत्यु के कारण कम होने और उपशमन को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन को खारिज करने के रूप में अपील।

3. दोनों पक्षों के विद्वानों की विद्वान अधिवक्ता सुनी।

4. अनावश्यक विवरणों के बिना, उपरोक्त अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

बी.

(i) एक तुकाराम रॉज के दो बेटों ने एक गंगाराम रॉज के दो बेटों के खिलाफ घोषणा और अधिकार के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें वादी की मां को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया।

((ii) मुकदमे को 30.06.1982 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सी.

((ग) असफल वादियों ने 1982 के सी. ए. सं. 134 में नियमित प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 30.12.1992 दिनांकित एक निर्णय और डिक्री द्वारा अनुरोध के अनुसार मुकदमे का फैसला सुनाया।

डी.

(iv) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अर्थात् गंगाराम के पुत्रों ने उच्च न्यायालय की फाइल पर 1993 की एस. ए. संख्या 67 में दूसरी अपील दायर की।

(v) मूल वादी, अर्थात् तुकाराम के दो पुत्र, दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 थे और तीसरा प्रत्यर्थी, जो केवल एक प्रोफार्मा प्रत्यर्थी था, दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 3 था।

ई.

(vi) दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 3, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 थी, की मृत्यु 30.03.1994 पर हो गई।चूंकि, उनके बेटे पहले से ही दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के रूप में पक्षकार थे, इसलिए प्रोफॉर्मा प्रत्यर्थी संख्या 3 की मृत्यु के कारण अपील कम नहीं हुई।हालाँकि, दो सफल वादियों में से एक, जो दूसरी अपील में दूसरा प्रत्यर्थी था, की मृत्यु 02.02.1996 पर हुई।

एफ.

(vii) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सोचा कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक द्वितीय वादी, जो दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 थे, के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने में विफलता के कारण अपील समाप्त हो गई थी।

जी.

(viii) उपशमन को दरकिनार करने के लिए दायर आवेदन को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 1 ए

एच.

903

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से सखाराम सिंह का निर्णय।किशनराव ए

और 2, जो दूसरी अपील में अपीलार्थीगण थे, उपरोक्त दीवानी अपीलों के साथ आए हैं।

5. मूल रूप से, उच्च न्यायालय यह सोचने में त्रुटि में पड़ गया कि दूसरी अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 (दूसरे वादी) की मृत्यु पर समाप्त हो गई।

बी.

6. जब दो वादी एक साथ जुड़ते हैं और एक अचल संपत्ति की घोषणा और कब्जे की डिक्री हासिल करते हैं, तो डिक्री धारकों में से एक की मृत्यु दूसरी अपील को समाप्त नहीं करेगी। जीवित सफल वादी के खिलाफ, कार्रवाई का कारण बच गया।उपशमन केवल तभी होता है जब कार्रवाई का कारण जीवित पक्ष पर या उसके खिलाफ नहीं रहता है।

सी.

7. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXII नियम 2 इस प्रकार हैः-

2. प्रक्रिया जहाँ कई वादी या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है।- जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, वहां न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में कराएगा, और मुकदमा जीवित वादी या वादी के कहने पर, या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगा।"

डी.

ई.

8. उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और जहां जीवित प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार रहता है, वहां मुकदमा जीवित प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ेगा।आदेश XXII नियम 11 में कहा गया है कि अपील के लिए आदेश XXII के आवेदन में, शब्द

एफ.

""वादी" को एक अपीलार्थी, "प्रत्यर्थी" शब्द को एक प्रत्यर्थी और "वाद" शब्द को एक अपील में शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाएगा।

9. इसलिए, यदि आदेश XXII नियम 2 में दिखाई देने वाले "प्रत्यर्थी" शब्द को "प्रत्यर्थी" शब्द से बदल दिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरी अपील समाप्त नहीं हुई और मुकदमा करने का अधिकार जीवित प्रत्यर्थी के खिलाफ रहता है।

जी.

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील को इस आधार पर खारिज करना कि मामले के गुण-दोष में गए बिना अपील को समाप्त कर दिया गया था, कानून के अनुसार नहीं है।नतीजतन, आवेदन को खारिज करना भी कानून के विपरीत था।

एच.

11. इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है।दूसरी अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री के साथ-साथ उपशमन को दरकिनार करने के आवेदन को खारिज करने के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और दूसरी अपील को गुण-दोष पर नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।

12. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश के संचार की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलों पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और फैसला करे।

बी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.